

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

30/05/2017 No 14/17-18

आदेश-पत्रक

11/05/2017 11/2/2017

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

(संशोधन) (संशोधन)

आदेश पत्रक-ता०.....

से

जिला-खगड़िया.....

सा०.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम
10 और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित

पु. 055-2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1708/सी०आर० दिनांक 10.05.2017 द्वारा परबत्ता (मरैया) थाना काण्ड संख्या-183/2016 दिनांक 09.08.2016 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-750एम०एल० वाला 05 बोतल विदेशी शराब xxx Rum जिसमें 04 बोतल सील बंद है तथा एक बोतल सिल खुला हुआ जिसमें 100 एम०एल० शराब निकला हुआ हुआ है। थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष परबत्ता (मरैया) का तलासी-सह-जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।

750एम०एल० वाला 05 बोतल विदेशी शराब xxx Rum जिसमें 04 बोतल सील बंद है तथा एक बोतल सिल खुला हुआ जिसमें 100 एम०एल० शराब निकला हुआ हुआ है। सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब एवं वियर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता (मरैया) /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including dates like 11/05/2017 and 13/05/2017, and various signatures.